"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2002—श्रावण 1, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-67/2002/वाक/पांच (84).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यवसायी, जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा अनाज एवं खड़ा दलहन का विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किये गये ऐसे विक्रय के टर्न ओवर पर देय कर की गणना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 31-3-2003 के बीच की अवधि के दौरान 2 प्रतिशत की दर से की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-67/2002/वाक/पांच (84).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-67/2002/वाक/पांच (84), दिनांक 23-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd July 2002

NOTIFICATION

No .F-10-67/2002/CT /V(84).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act, by any dealer having his place of business in the state of Chhattisgarh in respect of sales of cereals and whole pulses, by him from any such place of business in the course of interstate trade or commerce, shall, with effect from the date of publication in the official Gazette to 31-3-2003, be calculated at the rate of two percent on his turnover of such sales.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.